कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/G/2019–20/19786/SMC/39

दिनांक–09/12/19

जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)
प्रारंभिक शिक्षा

.... (समस्त)

विषय–आरटीई की धारा 21 के अंतर्गत विद्यालयों में गठित SMC (विद्यालय प्रबंधन समिति) की सूची को विद्यालयों के सूचना पट्ट एवं शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने बाबत् ।

प्रसंग–उप सचिव, रा.रा.बा.अ.सं.आ का पत्रांक–एफ 19()/बाल आयोग/शिक्षा–प्रकोष्ठ/19–20/11828–29 दि. 03.12.19 ।

उपर्युक्त विषयांतर्गत प्रासांगिक पत्र के संबंध में लेख है कि उप सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जयपुर ने अपने पत्र दि. 03.12.19 में यह उल्लेख किया है कि माननीय अध्यक्ष महोदया एवं सदस्यगणों की विभिन्न जिलों की यात्रा में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि अनेक राजकीय विद्यालयों में SMC (विद्यालय प्रबंधन समिति) की सूची को विद्यालयों के सूचना पट्ट एवं शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाता है, जिससे बच्चों व अभिभावकों को SMC सदस्यों की जानकारी नहीं हो पाती ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आरटीई की धारा 21 के अंतर्गत विद्यालयों में गठित SMC(विद्यालय प्रबंधन समिति) की सूची को समस्त राजकीय विद्यालयों के सूचना पट्ट एवं शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर नियमानुसार प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करें ।

9/12/19
(मूलचंद मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक)
निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान–बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. उप सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर ।
2. सहायक निदेशक, आरटीई–पीएसपी अनुभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निजी विद्यालयों के संबंध में पाई गई उक्त कमियों हेतु आप अपने अनुभाग स्तर पर निर्देश जारी करते हुए सतत् मोनिटरिंग की जानी सुनिश्चित करें ।

अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक)
निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान–बीकानेर

राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

2, जलपथ, गांधी नगर जयपुर ।
Tel./Fax.0141-2709319 Email – rscpcr@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 19 ( )/बाल आयोग/शिक्षा–प्रकोष्ठ/19–20/ 11828-29 दिनांक 3.12.19

कार्यालय निदेशक
राजस्थान–बीकानेर
- 5 DEC 2019

निदेशक,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः–आरटीई की धारा 21 के अन्तर्गत विद्यालयों में गठित SMC (विद्यालय प्रबन्धन समिति) की सूची को विद्यालयों के सूचना पट्ट एवं शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयोग की माननीय अध्यक्ष महोदया एवं सदस्यगणों की विभिन्न जिलों की यात्रा में निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि अनेक निजी/राजकीय विद्यालयों में SMC (विद्यालय प्रबन्धन समिति) की सूची को विद्यालयों के सूचना पट्ट एवं शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाता है, जिससे बच्चों व अभिभावकों को SMC सदस्यों की जानकारी नहीं हो पाती।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार आपसे निवेदन है कि आरटीई की धारा 21 के अन्तर्गत विद्यालयों में गठित SMC (विद्यालय प्रबन्धन समिति) की सूची को समस्त निजी/राजकीय विद्यालयों के सूचना पट्ट एवं शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से आयोग को अवगत करवाने का श्रम करावें।

उप सचिव
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
राजस्थान, जयपुर